प्रकरण संख्या 72/2017 शंकर बनाम अमरा

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.10.2022	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम उमरड़ा में परिशिष्ठ–क की आराजी नंबर 6919, 6920, 6922, 6923, 6927 कुल किता 5 रकबा 0.2150 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 3/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5 का 1/16 हिस्सा है। विवादित आराजियात वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की होकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 भाई बंधु हैं, जबकि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 अजनवी क्रेता हैं। भूमि का अभी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है, फिर भी प्रतिवादीगण ने विवादित आराजियात के पर्टीकुलर हिस्से पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है, जबकि वादी एवं प्रतिवादीगण अपनी–अपनी सुविधानुसार मौके पर काबिज हैं। अतः विवादित आराजियात का विभाजन किया जाकर वादी के 1/4 हिस्से का स्वतंत्र कब्जा दिलाया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2016 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री किया गया, तत्पश्चात दिनांक 23.03.2017 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की गयी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 20.06.2017 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट रोजगार के कारण बाहर गया हुआ था, वापस आने पर दिनांक 01.06.2017 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उक्त निर्णय व अंतिम डिक्री की जानकारी हुई। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर पत्रावली का अध्ययन किया। अपील प्रस्तुत करने में करीब एक माह का अल्प विलम्ब हुआ है। अतः प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण	

Signature Not Verified
Digitally signed by: Anita Meena
Date: 2022.12.14 14:59:41 IST
Reason: SelfAttested

जाती है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने गुणावगुण पर अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट को एक पट्‌टीनुमा भू–भाग दिया गया, जो कृषि प्रयोजनार्थ अनुपयोगी भू–पट्‌टी ही साबित होती है, इस कारण अपीलान्ट ने वक्त बंटवारा हस्ताक्षर नहीं किये एवं मौके पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 आनन्द मौजूद नहीं था। ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 आनन्द के बंटवारा फहरिश्त पर जो हस्ताक्षर हैं वह संदिग्ध हैं एवं जांच का विषय है। मौके पर तहसीलदार स्वयं नहीं आये, फर्द बंटवारा पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त फर्द बंटवारे के आधार पर पारित निर्णय व अंतिम डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 23.03.2017 अपास्त की जावे तथा अपीलान्ट को सुनकर पुनः बंटवारा रिपोर्ट मंगवायी जाकर निर्णय पारित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार गिर्वा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था, जबकि मौके पर तहसीलदार स्वयं नहीं गये एवं फर्द बंटवारा पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है, जो विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण है, तद्‌नुसार उक्त फर्द बंटवारे के आधार पर जारी अंतिम डिक्री भी त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 23.03.2017 अपास्त की जाती है और पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में तहसीलदार, गिर्वा स्वयं मौके पर जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में फर्द बंटवारा तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें तत्पश्चात्‌ अधिनस्थ न्यायालय उभयपक्षों को सुनकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.12.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 12.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 14:59:41 IST
Reason: SelfAttested